प्रेस नोट

होम गार्ड स्वयं सेवकों को मिलेगी रोडवेज किराये में रियायत

राज्य के लगभग 30,000 होम गार्ड स्वयंसेवकों को राजस्थान रोडवेज के किराये में 25% छूट मिलेगी। यह निर्णय राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नवीन जैन तथा महानिदेशक गृह रक्षा राजीव दासोत के मध्य हुई सहमति के बाद लिया गया।

इससे पूर्व होम गार्ड स्वयं सेवकों को रोडवेज का निःशुल्क पास देने के बारे में चर्चा हुई इसमें यह बात सामने आई कि इस निःशुल्क पास के लिए प्रत्येक होम गार्ड स्वयंसेवक को प्रति माह रू. 300/– का भुगतान करना होगा वह चाहे यात्रा करे अथवा नहीं। इस प्रस्ताव को होम गार्ड स्वयंसेवकों के हितों के विपरीत पाये जाने पर निर्णय लिया गया कि उनको रोडवेज किराये में 25% की सीधी छूट किसी भी प्रकार की यात्रा करने पर प्रदान की जाये।

इस रियायत हेतु प्रत्येक होम गार्ड स्वयंसेवक का आर.एफ.आई.डी (RFID) कार्ड बनाया जायेगा जिसके आधार पर निगम की साधारण तथा द्रुतगामी बसों में यात्रा करने पर राज्य की सीमा तक 25% की रियायत प्रदान की जायेगी।

अभी हाल ही में दिनांक 13.07.2020 को गृह रक्षा राज्य स्तरीय समस्या निवारण समिति की बैठक में विभिन्न जिलों से होम गार्डस स्वयंसेवकों ने यह मांग महानिदेशक, होमगार्ड के सामने रखी थी, जिसको गम्भीरता से लेते हुये महानिदेशक, होमगार्ड द्वारा इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही की गई। इस घोषणा से राज्य के सभी होम गार्ड स्वयं सेवकों में हर्ष की लहर दौड़ गई है तथा इस घोषणा से उनके मनोबल में भी वृद्धि हुई है।